



# इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय

(दिल्ली विश्वविद्यालय)




छात्रावास विवरण-पुस्तिका 2018-2019

## छात्रावास प्रवेश से संबंधित कार्यक्रम-सूची

| छात्रावास प्रवेश  | प्रवेश सूचियों का प्रदर्शन        | प्रवेश प्रक्रिया                            | शुल्क का ऑनलाइन भुगतान            |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| पहली सूची   | 22 जून, 2018<br>अपराह्न 3.00 बजे  | 25 जून, 2018<br>पूर्वाह्न 10—अपराह्न 1 बजे  | 26 जून, 2018 तक<br>सायं 5.00 बजे  |
| दूसरी सूची  | 28 जून, 2018<br>अपराह्न 3.00 बजे  | 2 जुलाई, 2018<br>पूर्वाह्न 10—अपराह्न 1 बजे | 3 जुलाई, 2018 तक<br>सायं 5.00 बजे |
| तीसरी सूची<br>(सीटें उपलब्ध होने पर)                        | 4 जुलाई, 2018<br>अपराह्न 3.00 बजे | 6 जुलाई, 2018<br>पूर्वाह्न 10—अपराह्न 1 बजे | 7 जुलाई, 2018 तक<br>सायं 5.00 बजे |
| चैक इन  |                                   | 19 जुलाई, 2018, गुरुवार                     |                                   |
| महाविद्यालय ओरिएंटेशन<br>(स्थान : महाविद्यालय का ऑडिटोरियम) |                                   | 20 जुलाई, 2018, शुक्रवार                    |                                   |
| छात्रावास ओरिएंटेशन<br>(स्थान : छात्रावास का डाइनिंग रूम)   |                                   | 20 जुलाई, 2018, शुक्रवार, अपराह्न 4.00 बजे  |                                   |
| शैक्षणिक सत्र का आरंभ                                       |                                   | 20 जुलाई, 2018, शुक्रवार                    |                                   |

## संपर्क

|   |   |
|---|---|
| कलावती गुप्ता छात्रावास छात्रावास कार्यालय      | 31, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली—110054<br>011-23954086 |
| इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय छात्रावास कार्यालय     | 22 ए, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली—110054               |
| इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय प्राचार्या का कार्यालय | 31, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली—110054<br>011-23962009 |
| महाविद्यालय कार्यालय                            | 011-23954085  |
| महाविद्यालय कार्यालय फैक्स नं.                  | 011-23962009  |
| ईमेल आईडी                                       | ipcw@ipcollege.ac.in  |
| महाविद्यालय की वेबसाइट                          | www.ipcollege.ac.in   |
| विश्वविद्यालय की वेबसाइट                        | www.du.ac.in  |



## महाविद्यालय प्रशासन

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| प्राचार्या        | डॉ. बाबली मोइत्रा सराफ  |
| उप-प्राचार्या     | डॉ. रेखा सेठी           |
| बर्सर             | सुश्री सुषमा नीना कुमार |
| प्रशासनिक अधिकारी | श्री दिनेश सुन्दरियाल   |

प्रशासन

## छात्रावास प्रशासन

| छात्रावास                                | वार्डन            | प्रभारी, अनुशासन  |
|--|-------------------|-------------------|
| कलावती गुप्ता छात्रावास                  | डॉ. श्रुति सहरावत | सुश्री स्वाहा दास |
| इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय महिला छात्रावास | घोषित किया जाएगा  | डॉ. मोनिका नंदी   |

## सूचना का अधिकार

|                   |  |
|-------------------|--|
| लोक सूचना अधिकारी | श्री दिनेश सुन्दरियाल<br>प्रशासनिक अधिकारी |
| अपील प्राधिकारी   | डॉ. बाबली मोइत्रा सराफ<br>प्राचार्या       |





शुभकामनाएँ और इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय के छात्रावासों में आपका स्वागत है। महाविद्यालय में दो छात्रावास हैं, महाविद्यालय परिसर में कलावती गुप्ता छात्रावास और महाविद्यालय के सामने सड़क के दूसरी ओर इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय छात्रावास। इन दोनों छात्रावासों में कुल 450 सीटें उपलब्ध हैं।

आपने अभी—अभी अपने—अपने घरों से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र और सामुदायिक जीवन में अपना पहला कदम रखा है। यह स्वतंत्रता और ज़िम्मदारी, दोनों का ही सूचक है। इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय द्वारा उदार सिद्धांतों के आधार पर छात्रावास चलाया जाता है। यहाँ निवासी छात्राओं को युवा वयस्क माना जाता है और उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील इन युवतियों की सुरक्षा का पूरा—पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ निवास करना विविधता से परिचित होना है। ऐसी विविधता जो क्षेत्र और पहचानों की विविधता मात्र नहीं अपितु निजी प्राथमिकताओं और अभिरुचियों की विविधता भी है।

छात्रावास का जीवन महाविद्यालय के परिवेश में सामुदायिक जीवन का समारोह है। छात्रावास में निवास ऐसा अनुभव है जो कभी—कभी हमें असुविधाओं का सामना करते हुए भी मज़बूत होकर बाहर निकलने और हमारी सहनशक्ति को चुनौती देने वाले समाज का सामना करने में समर्थ बनाता है। महाविद्यालय द्वारा पशु हितेषी परिसर को बढ़ावा दिया जाता है। छात्रावास परिसर में श्वान, बिल्लियाँ, मोर और अन्य पक्षी सक्रिय रहते हैं।

इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय आपके बारे में है। आप इसकी दृष्टि के केन्द्र में हैं। ऐसी दृष्टि जो समानता और सामंजस्य के मूल्यों का समर्थन करती है और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लक्ष्य का अनुसरण करते हुए भी पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है। आपकी रक्षा, सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखकर महाविद्यालय द्वारा छात्रावास की गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। छात्राओं के लिए अग्नि सुरक्षा और अन्य आपदा प्रबंधन डिलों का आयोजन किया जाता है।

महाविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश समर्थकारी सुविधा है, अधिकार या हकदारी नहीं। छात्रावास के नियमों और विनियमों से परिचित होने के लिए कृपया इस विवरण—पुस्तिका को अच्छी तरह से पढ़ें। मैं छात्रावास में आपके स्मरणीय और सुखद निवास की कामना करती हूँ।

## छात्रावासों के विषय में

### 1. कलावती गुप्ता छात्रावास

युवतियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के महाविद्यालय की दृष्टि के भाग के रूप में महाविद्यालय परिसर में 1956 में कलावती गुप्ता छात्रावास की स्थापना की गई। 2017 में इसे सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ नवीकृत और पुनःडिजाइन किया गया और अक्टूबर 2017 में गांधी जयंती समारोह के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया।



कलावती गुप्ता छात्रावास सेंट्रली एअर-कूल्ड है और यहाँ गर्म पानी के लिए सोलर हीटर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऊपर की मंजिलों के लिए लिफ्ट और सीढ़ियाँ हैं। यहाँ चौबीस घंटे पावर बैक अप और जल की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास के सभी कार्यालय भूतल पर हैं। इसी तल पर चिकित्सा कक्ष और डाइनिंग हॉल भी है। डाइनिंग हॉल का प्रयोग असेंबली हॉल के रूप में भी किया जाता है। इसका आधुनिक रसोईघर अद्यतन किचन फिटिंग्स और उपकरणों से युक्त है। छात्रावास परिसर में तीन हरे-भरे उद्यान हैं। यह छात्रावास Wi-fi समर्थित है और यहाँ सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए गए हैं। इसी वर्ष से यहाँ वॉशिंग मशीन भी लगाई गई हैं जिनका परिचालन छात्राएँ स्वयं करेंगी।

कलावती गुप्ता छात्रावास में बड़े सुसज्जित कक्ष हैं जिनमें एक कक्ष में दो छात्राएँ निवास कर सकती हैं। प्रत्येक कक्ष में गद्दों सहित दो बैड, 2 स्टडी टेबल और कुर्सियाँ, एक बुक रैक और 2 अलमारियाँ हैं। स्टडी लाइट्स और प्लग सॉकेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। 8 कक्षों के लिए एक प्रसाधन-कक्ष ब्लॉक है। दिव्यांग छात्राओं के कक्ष भूतल पर छात्रावास प्रबंधक और मेट्रन के निवास के पास अवस्थित हैं। दिव्यांग छात्राओं के प्रसाधन-कक्ष का ब्लॉक विशेष रूप से दिव्यांग अभिगम के लिए तैयार किया गया है।

छात्रावास में आगंतुकों के लिए लॉबी, पुस्तकालय और मनोरंजन कक्ष और कॉमन रूम हैं। यहाँ सामान जमा कराने की सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं। इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय आगंतुकों का निवास भी कलावती गुप्ता छात्रावास परिसर में है। प्रत्येक तल पर रेफ्रीजिरेटर, माइक्रोवेव अवन और हल्का भोजन बनाने और बर्तन धोने के लिए सिंक की सुविधाओं से युक्त 2 छोटे रसोईघर हैं। छात्राओं के लिए हैंगआउट कबी होल्स भी हैं जिससे कि वे अपने मित्रों के साथ यहाँ विश्राम कर सकें। इसके अतिरिक्त परिसर में पशु और पक्षियों को भी देखा जा सकता है। कलावती गुप्ता छात्रावास परिसर में दो शवान, शेर और चीता (शेरू और चीतू) हैं जिनकी छात्राएँ और स्टाफ बड़े प्रेम से देखभाल करते हैं।

कलावती गुप्ता छात्रावास में 280 सीटें हैं जिनमें से 150 सीटें प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए उपलब्ध हैं। इन सीटों का आबंटन दिल्ली विश्वविद्यालय की आरक्षण नीति के अनुसार किया जाता है। उपलब्ध सीटें महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में वितरित की गई हैं। प्रत्येक विषय में योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है।

## 2. इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय महिला छात्रावास



इन्द्रप्रस्थ छात्रावास, महाविद्यालय के सामने सड़क के दूसरी ओर अलग परिसर में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और 2018 में इसे नवीकृत और पुनःसज्जित किया गया है।

इन्द्रप्रस्थ छात्रावास भूतल और प्रथम तल पर सेंट्रली एअर-कूल्ड है और इसके दूसरे और तीसरे तलों पर 96 छात्राओं के लिए वातानुकूलित कक्ष हैं। यहाँ गर्म पानी के लिए सोलर हीटर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऊपर की मंजिलों के लिए लिफ्ट और सीढ़ियाँ हैं। यहाँ चौबीस घंटे पावर बैंक अप और जल की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास के सभी कार्यालय भूतल पर हैं। इसी तल पर चिकित्सा कक्ष, डाइनिंग हॉल, विशाल कॉमन रूम और असेंबली क्षेत्र भी हैं। यह छात्रावास Wi-fi समर्थित है और यहाँ सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए गए हैं। इसी वर्ष से यहाँ वॉशिंग मशीन भी लगाई गई हैं जिनका परिचालन छात्राएँ स्वयं करेंगी। प्रत्येक तल पर रेफ्रीजिरेटर, माइक्रोवेव अवन और हल्का भोजन बनाने की सुविधा और बर्टन धोने के लिए सिंक की सुविधा उपलब्ध है।

इन्द्रप्रस्थ छात्रावास में बड़े सुसज्जित कक्ष हैं जिनमें एक कक्ष में दो छात्राएँ निवास कर सकती हैं। प्रत्येक कक्ष में गद्दों सहित दो बैड, 2 स्टडी टेबल और कुर्सियाँ, एक बुक रैक और 2 अलमारियाँ हैं। स्टडी लाइट्स और प्लग सॉकेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। कक्षों के प्रत्येक समूह के लिए एक प्रसाधन—कक्ष ब्लॉक है। दिव्यांग छात्राओं के कक्ष भूतल पर मेट्रन के निवास के पास अवस्थित हैं।

छात्रावास में भूतल पर आगंतुकों के लिए लॉबी है और इन्द्रप्रस्थ छात्रावास के परिसर में भवन के आसपास टहलने के लिए क्षेत्र है। इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय आगंतुक विद्वानों का निवास भी छात्रावास परिसर में है।

इन्द्रप्रस्थ छात्रावास में 170 सीटें हैं जिनमें से 70 सीटें प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए उपलब्ध हैं। इन सीटों का आवंटन दिल्ली विश्वविद्यालय की आरक्षण नीति के अनुसार किया जाता है। उपलब्ध सीटें महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में वितरित की गई हैं। प्रत्येक विषय में योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है। आपदाग्रस्त, सुदूर और संघर्षरत क्षेत्रों की छात्राओं को भी छात्रावास में सीटें आवंटित की जाती हैं।

## छात्रावास प्रवेश

छात्रावास में प्रवेश मात्र उन्हीं छात्राओं के लिए उपलब्ध है जिन्हें पहले से ही महाविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दे दिया गया है और वे दिल्ली से बाहर की हैं। रिक्त सीटें उपलब्ध होने पर ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की छात्राओं पर विचार किया जाएगा। स्थानीय छात्रा को छात्रावास सीट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

- उपलब्ध सीटें सभी विषयों में वितरित की गई हैं।
- प्रत्येक विषय में योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
- महाविद्यालय के पास उपलब्धता के आधार पर किसी भी छात्रा को, किसी भी छात्रावास में सीट आबंटित करने का अधिकार आरक्षित है, यद्यपि छात्रा से प्राथमिकता माँगी जाती है।
- दिव्यांग छात्राओं को कलावती गुप्ता छात्रावास में रहाया जाता है।
- प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक सप्ताह में दो घंटे दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए रीडिंग करें।

## अपेक्षित दस्तावेज़

- विधिवत् भरा हुआ छात्रावास प्रवेश फॉर्म
- यथा विनिर्दिष्ट वचनबंध
- स्वरक्षता प्रमाण—पत्र
- पहचान—पत्र प्रोफार्मा, हिंदी और अंग्रेज़ी में विधिवत् भरा हुआ
- आवेदक और साथ ही स्थानीय अभिभावक का आवास संबंधी प्रमाण
  - वोटर कार्ड/राशन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड की सत्यापित प्रति
  - शपथपत्र (उपर्युक्त दस्तावेज़ों के अभाव में)

## फोटो

- अभ्यर्थी के फोटो की दो प्रतियाँ
- माता और पिता के फोटो
- स्थानीय अभिभावक का एक फोटो

**टिप्पणी :** प्रवेश के समय माता-पिता और स्थानीय अभिभावक का अभ्यर्थी के साथ होना अनिवार्य है, ऐसान होने पर उसे छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

## विदेशी छात्राओं का प्रवेश

- पासपोर्ट की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति
- संबंधित दूतावास/उच्चायोग/भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् आदि जैसे प्रायोजक संगठन के संपर्क अधिकारी से संबंधित विवरण

## परवर्ती सेमेस्टरों में छात्रावास में प्रवेश

परवर्ती सेमेस्टरों में प्रवेश स्वतः ही नहीं मिलेगा। इसके लिए निम्न शर्तें होंगी :

- छात्राओं ने पूर्व सेमेस्टर के सभी प्रश्न—पत्रों की सभी परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हों।
- उनकी प्रत्येक सेमेस्टर में कुल मिलाकर दो तिहाई उपस्थिति हो।
- उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या कोई अन्य कार्यवाही न की गई हो।
- छात्रावास पॉलिसी, नियमों और विनियमों का उल्लंघन न किया गया हो।  
(अगले खंड में ‘नियम’ से संदर्भ ग्रहण करें)
- पुनः प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित आवेदन फॉर्म भरा जाए।
- प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रा के स्वास्थ्य से संबंधित अद्यतन जानकारी दी जाए।
- सभी प्रवेश वार्डन की संस्तुति और प्राचार्या के अनुमोदन से किए जाएँगे।
- खेल कोटा के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने वाली छात्राएँ खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभागिता, और संबंधित खेल गतिविधि में उपस्थिति से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करें।
- शैक्षणिक सत्र में छात्रावास में विलंब से आने वाली छात्राओं का कक्ष प्रतीक्षा सूची में आने वाली छात्रा को दिया जा सकता है।



## नियम

### सामान्य अनुशासन

- किसी भी रूप में ऐगिंग का निषेध है।
- मद्यपान, ड्रग्स और तंबाकू का सेवन निषेध है। इन गतिविधियों में संलग्न छात्राओं और उन छात्राओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे स्थानों पर उपस्थित रही हैं जहाँ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हों।
- माता-पिता / स्थानीय अभिभावक / साथी छात्राओं के जाली हस्ताक्षर करने वाली निवासी छात्राओं के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- निवासी छात्राओं को किसी भी प्रकार का पूर्णकालिक / अल्पकालिक रोज़गार लेने या महाविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करवाने की अनुमति नहीं है।
- प्राचार्या को पूर्व सूचना देकर और उनकी अनुमति से छात्राएँ मात्र अपनी कक्षाओं की समयावधि और विभाग / महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के बाहर, कोचिंग कक्षाओं में उपस्थित हो सकती हैं।
- किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़ / प्रसाधन कक्षों / सार्वजनिक स्थान को गंदा करने / चाबियों (कक्षों / अलमारी की) और तालों आदि के खो जाने पर वैयक्तिक / सामूहिक जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- तोड़फोड़ और अनुशासन भंग करने से हुए नुकसान की भरपाई छात्राओं द्वारा वैयक्तिक या सामूहिक रूप से की जाएगी, और इसमें अवधान राशि को ज़ब्त करना भी शामिल हो सकता है।
- निवासी छात्राओं को छात्रावास फोटो पहचान-पत्र दिए जाएंगे। छात्रावास में प्रवेश करने के लिए गार्ड को यह पहचान-पत्र दिखाना होगा। निवासी छात्राओं को यह कार्ड सदैव अपने पास रखना होगा।
- छात्रावास फोटो पहचान-पत्र के खो जाने पर रु. 100/- का प्रभार लगाया जाएगा।
- निवासी छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे साझा कार्यस्थल, भोजन कक्ष, अतिथि लाउंज और छात्रावास के अन्य सामान्य स्थलों पर उपयुक्त परिधान धारण करेंगी।
- निवासी छात्राओं को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने कक्षों में बहुमूल्य आभूषण या अधिक धनराशि न रखें। किसी भी प्रकार के नुकसान / चोरी के लिए छात्रावास के प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।

### छात्रावास उपस्थिति नियम

- निवासी छात्राएँ प्रत्येक सेमेस्टर के पहले और अंतिम दिन छात्रावास में उपस्थित रहें।
- छात्राओं के लिए न्यूनतम अपेक्षित उपस्थिति (75 प्रतिशत) बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर परवर्ती सेमेस्टरों में छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यों में उपस्थिति आवश्यक है।

- सभी निवासी छात्राएँ, यदि वे अनुमोदित अवकाश पर नहीं हैं, रात्रि 8.00 बजे तक छात्रावास में उपस्थित हों और अपनी बायोमेड्रिक उपस्थिति दर्ज करें। किसी भी निवासी छात्रा को वैध पूर्व अनुमति के बिना रात्रि 8.00 बजे के बाद छात्रावास से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। रात्रि 8.00 बजे के बाद छात्रावास से अस्पष्टीकृत या अप्राधिकृत अनुपस्थिति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- रात्रि 11.00 बजे तक छात्रावास में भोजन की डिलीवरी किए जाने की अनुमति है।
- कलावती गुप्ता छात्रावास की निवासी छात्राओं को रात्रि 11.00 बजे तक महाविद्यालय के अहाते में टहलने की अनुमति है। अन्य स्थानों में घूमने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय महिला छात्रावास की छात्राओं को रात्रि 11.00 बजे तक छात्रावास परिसर में टहलने की अनुमति है।

## छात्रावास से अवकाश

निवासी छात्राएँ निम्न प्रकार के अवकाश ले सकती हैं :

|   |   |
|---|---|
| स्थानीय अभिभावक से मिलने के लिए अवकाश                       | सप्ताहांत (शनिवार और रविवार);<br>राजपत्रित अवकाश और कार्य दिवसों पर माह में चार बार |
| निर्धारित समय—सीमा (रात्रि 10.30 बजे तक)<br>के बाद का अवकाश | सप्ताहांत (शनिवार और रविवार);<br>राजपत्रित अवकाश और कार्य दिवसों पर माह में चार बार |
| गृह अवकाश   | अंतराल के दौरान / विशेष प्रयोजन हेतु  |
| डे स्कॉलर लीव   | पूर्व अनुमोदन से वैध कारणों के लिए  |

निर्धारित समय—सीमा के बाद के अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में बदलने का कोई प्रावधान नहीं है।

## अवकाश के लिए आवेदन कैसे करें

- माता—पिता द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी निवासी छात्रा को एक शैक्षणिक वर्ष में दो सप्ताह तक डे स्कॉलर प्रकार के अवकाश की अनुमति दी जाएगी।
- किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा। वार्डन द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जाने पर ही निवासी छात्राएँ अवकाश पर जा सकती हैं। गृह अवकाश / विशेष प्रयोजन हेतु अवकाश पर जाने की स्थिति में माता—पिता द्वारा पहले अनुरोध पत्र भेजा जाना चाहिए।
- निवासी छात्राओं को किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाने से पहले और छुट्टी से वापस आने पर उपयुक्त रजिस्टर (निर्धारित समय—सीमा के बाद का अवकाश / स्थानीय अभिभावक से मिलने के लिए अवकाश / गृह अवकाश) पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि

- कोई छात्रा उपयुक्त रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए बिना छात्रावास छोड़ती है या छात्रावास में वापस आती है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- प्रत्येक छात्रा को सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत कराने हेतु अवकाश—पुस्तिका दी जाएगी। इस अवकाश—पुस्तिका के खो जाने की स्थिति में रु. 100/- का प्रभार लगाया जाएगा।
  - किसी भी आवेदित और स्वीकृत अवकाश की प्रविष्टि अवकाश—पुस्तिका में की जाएगी जिस पर माता—पिता/स्थानीय अभिभावक हस्ताक्षर करेंगे और अधीक्षक/वार्डन प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
  - स्थानीय अभिभावक से अपेक्षा की जाती है कि वह महाविद्यालय को उपलब्ध करवाए गए फोन नं. पर उपलब्ध होंगे और यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय को तत्काल दी जाएगी।
  - निवासी छात्रा के छात्रावास से बाहर निकलने के पश्चात् वह कहाँ है, इसके लिए महाविद्यालय/छात्रावास जिम्मेदार नहीं होगा।

## छात्रावास खाली करना

- मई—जून में अपनी सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति के अगले दिन छात्राओं को छात्रावास खाली करना होगा। क्योंकि शैक्षणिक कैलेंडर और परीक्षा की समय—सारणी काफी पहले अधिसूचित कर दी जाती है अतः छात्राओं को यह सलाह दी जाती है कि जैसे ही उनकी परीक्षा सूची अधिसूचित कर दी जाती है वैसे ही वे अपने यात्रा टिकट बुक करवा लें।
- छात्राएँ कक्ष खाली करने की तिथि और समय से संबंधित सूचना छात्रावास की वार्डन/प्रबंधक/मेट्रन को अवश्य दें।
- अवकाश के दौरान जब छात्रावास बंद रहता है, महाविद्यालय किसी भी छात्रा को ठहराने की स्थिति में नहीं है। ये सभी छात्राएँ अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करें।
- प्रत्येक अंतराल के बाद कक्ष खाली करते समय छात्राएँ यह सुनिश्चित कर लें कि कक्ष पूरे सामान के साथ सौंपा गया है।
- दिल्ली केन्द्रों में प्रवेश परीक्षाओं में बैठने की तैयारी करने वाली छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपने स्थानीय अभिभावक को सूचित करें और/या अपने रहने की स्वयं व्यवस्था करें, क्योंकि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के समाप्त होते ही छात्रावास बंद हो जाएगा।

## कक्ष

- निवासी छात्रा, उसे उपलब्ध करवाए गए कक्ष और उसके फर्नीचर (ताले और सिटकिनी सहित) की देखभाल और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने—अपने कक्षों और आसपास के स्थान को सुव्यवस्थित रखेंगी और दीवारों को गंदा नहीं करेंगी। दीवारों और आलमारियों पर अतिरिक्त कीलें/तस्वीरें नहीं लगाई जाएँगी।

## नियम और विनियम

- तोड़फोड़ के किसी भी कृत्य पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं को परामर्श दिया जाता है कि वे छात्रावास में अपने निवास के दौरान किसी भी समय कक्ष

- वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अतिथि (माता—पिता सहित) को छात्रावास में किसी भी प्रकार के कैमरे या फिल्म तैयार करने वाले उपकरण का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- छात्रावास प्रशासन के पास यह अधिकार आरक्षित है कि वह ऐसे किसी भी अतिथि को छात्रावास के अतिथि कक्ष में प्रवेश देने से इनकार कर दे जो अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता / पाती या जो छात्रावास में आने का वैध कारण न बता सके।
- महिला अतिथियों को वार्डन की अनुमति से अधिक से अधिक दो दिन तक छात्रावास में ठहरने की अनुमति है। माताओं और बहनों को अधिकतम तीन दिन तक छात्रावास में रहने की अनुमति है। वही महिला अतिथि अलग—अलग छात्राओं की अतिथि के रूप में एक माह में तीन दिन से अधिक छात्रावास में नहीं रह सकती।
- अतिथि प्रभार (जिसका अग्रिम भुगतान किया जाए) रु. 500/- प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति है। आपवादिक स्थितियों में, जबकि अतिथि दो दिन की अनुमेय अवधि से अधिक (वार्डन की पूर्व अनुमति से) छात्रावास में रहती है तो पहले दो दिनों के बाद प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति रु. 750/- के हिसाब से भुगतान करना होगा।
- अतिथियों को आगमन और प्रस्थान के समय रजिस्टर (इस प्रयोजन हेतु रखा गया) पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- अतिथि भोजन कक्ष के निर्धारित क्षेत्र में भोजन करेंगे।
- सभी अतिथियों को छात्रावास के नियमों का पालन करना होगा।
- वार्डन के पास यह अधिकार आरक्षित है कि वह पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय, किसी भी अतिथि को अनुमति देने से मना कर दे या उसके ठहरने की अवधि को समाप्त कर दे।

## छात्रावास समिति

छात्रावास समिति, परामर्शदात्री समिति है जिसमें महाविद्यालय की कर्मचारी परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए संकाय के सदस्य होते हैं। यह समिति छात्रावास के प्रबंधन में प्राचार्य और वार्डन की सहायता करती है।

छात्रावास प्रबंधक और मेट्रन, छात्रावास समिति में विशेष आमंत्रिती होंगे।

## नियम और विनियम

## शैक्षणिक कैलेंडर 2018-2019

| सेमेस्टर I/III/V/VII   |   |
|--|---|
| कक्षाओं का आरंभ  | 20 जुलाई, 2018 (शुक्रवार)   |
| सेमेस्टर के मध्य का अंतराल   | 15 अक्टूबर, 2018 (सोमवार) से<br>21 अक्टूबर, 2018 (रविवार)<br>टिप्पणी : 19.10.2018 (शुक्रवार) को दशहरा |
| सेमेस्टर के मध्य के अंतराल के बाद<br>कक्षाओं का आरंभ                     | 22 अक्टूबर, 2018 (सोमवार)   |
| कक्षाओं का समापन, तैयारी के लिए अवकाश<br>और व्यावहारिक परीक्षाओं का आरंभ | 16 नवम्बर, 2018 (शुक्रवार)  |
| सैद्धांतिक परीक्षाओं का आरंभ   | 30 नवम्बर, 2018 (शुक्रवार)  |
| शीतकालीन अवकाश   | 17 दिसम्बर, 2018 (सोमवार) से<br>31 दिसम्बर, 2018 (सोमवार)   |
| सेमेस्टर II/IV/VI/VIII   |   |
| कक्षाओं का आरंभ  | 1 जनवरी, 2019 (मंगलवार)   |
| सेमेस्टर के मध्य का अंतराल   | 18 मार्च, 2019 (सोमवार) से<br>24 मार्च, 2019 (रविवार)<br>टिप्पणी : 20.03.2019 (बुधवार) को होली        |
| सेमेस्टर के मध्य के अंतराल के बाद<br>कक्षाओं का आरंभ                     | 25 मार्च, 2019 (सोमवार)   |
| कक्षाओं का समापन, तैयारी के लिए अवकाश<br>और व्यावहारिक परीक्षाओं का आरंभ | 29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)  |
| सैद्धांतिक परीक्षाओं का आरंभ   | 10 मई, 2019 (शुक्रवार)  |
| ग्रीष्मकालीन अवकाश   | 26 मई, 2019 (रविवार) से<br>19 जुलाई, 2019 (शुक्रवार)  |

**टिप्पणी:** विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए कैलेंडर का सख्ती से पालन किया जाए। छात्राओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रदत्त कैलेंडर के अनुसार कक्षा में अपनी उपरिथित सुनिश्चित करें।

**मई-जून 2019 में अपनी सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति के अगले दिन छात्राओं को छात्रावास खाली करना होगा।**

रखरखाव और अन्य कार्यों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्रावास बंद रहेगा।

## छात्रावास शुल्क संरचना 2018-19

व्यय के निम्न शीर्षों के अंतर्गत शुल्क प्रभारित किया जाएगा

|  |  | प्रथम वर्ष | द्वितीय और तृतीय वर्ष |
|--|--|------------|-----------------------|
| <b>क</b> अवधान राशि<br>(प्रतिदेय)                            |  | 8000       |                       |
| फोटो पहचान—पत्र शुल्क  |  | 100        |                       |
| <b>ख वार्षिक प्रभार</b>                                      |  |            |                       |
| (i) प्रवेश शुल्क   |  | 100        | 100                   |
| (ii) स्थापना   |  | 15000      | 15000                 |
| (iii) कक्ष प्रभार  |  | 9600       | 9600                  |
| (iv) बिजली   |  | 8000       | 8000                  |
| (v) पानी   |  | 3000       | 3000                  |
| (vi) मरम्मत  |  | 4000       | 4000                  |
| (vii) फर्नीचर और फिक्सचर                                     |  | 3000       | 3000                  |
| (viii) रसोई उपकरण  |  | 1500       | 1500                  |
| (ix) टेलीफोन   |  | 200        | 200                   |
| (x) लेखन सामग्री   |  | 300        | 300                   |
| (xi) टी.वी.  |  | 200        | 200                   |
| (xii) उद्यान   |  | 500        | 500                   |
| (xiii) आकर्षिक व्यय  |  | 1000       | 1000                  |
| (xiv) छात्रावास संघ अंशदान                                   |  | 500        | 500                   |
| (xv) छात्रावास विकास शुल्क                                   |  | 5000       | 5000                  |
| (xvi) छात्रावास न्यूज़ लैटर                                  |  | 200        | 200                   |
| (xvii) सतर्कता और निगरानी<br>(अतिरिक्त सुरक्षा गाड़ी के लिए) |  | 3500       | 3500                  |
| (xviii) लॉन्ड्री   |  | 3600       | 3600                  |
| (xix) पठन कक्ष / पत्रिकाएँ आदि                               |  | 200        | 200                   |
| (xx) खेल / मनोरंजन आदि                                       |  | 500        | 500                   |
| <b>ग भोजनालय प्रभार</b>                                      |  |            |                       |
| 11 माह के लिए प्रतिमाह रु. 5500 के हिसाब से                  |  | 60500      | 60500                 |
| भोजनालय का रखरखाव  |  | 14300      | 14300                 |
| <b>कुल योग (क+ख+ग)</b>                                       |  | 142800     | 134700                |

**टिप्पणी :** रु. 5000/- प्रति माह का अतिरिक्त भुगतान किए जाने पर इन्द्रप्रस्थ छात्रावास में वातानुकूलित कक्ष भी उपलब्ध हैं।

प्रत्येक सेमेस्टर के आरंभ में भुगतान किया जाने वाला शुल्क निम्नवत् है :

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| सेमेस्टर I                   | रु. 75,400/- |
| सेमेस्टर II-VI (नए प्रवेश)   | रु. 75,400/- |
| सेमेस्टर II-VI (पुनः प्रवेश) | रु. 67,400/- |

विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार विदेशी छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश के समय \$ 100 का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

### टिप्पणी :

- (क) सभी निवासी छात्राओं से 11 माह का भोजनालय शुल्क लिया जाएगा। विलंब से भुगतान करने पर प्रतिदिन के हिसाब से रु. 50/- का जुर्माना लगाया जाएगा।
- (ख) अधिसूचित कार्यक्रम सूची के अनुसार महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.ipcollege.ac.in> पर शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाए।
- (ग) महाविद्यालय के पास किसी भी समय शुल्क बढ़ाने का अधिकार आरक्षित है, यदि यह आवश्यक समझा जाता है।
- (घ) छात्रा ने जिस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है या छात्रावास खाली किया है उस वित्तीय वर्ष के मार्च माह की 31 तारीख तक अवधान राशि / प्रतिभूति जमा राशि प्रतिदेय है।

### छात्रावास शुल्क की वापसी

यदि कोई छात्रा प्रवेश लेने के तीन दिन के भीतर छात्रावास छोड़ देती है तो पूरा वार्षिक शुल्क (प्रवेश शुल्क को छोड़कर) वापस कर दिया जाएगा। यदि वह इसके बाद, किन्तु 31 जुलाई से पहले, छात्रावास छोड़ती है तो रु. 1,000/- की कटौती की जाएगी। वार्षिक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ; मात्र भोजनालय प्रभार और अवधान राशि ही वापस की जाएगी।

छात्रा को छात्रावास से वापस लेने के लिए प्राचार्या को संबोधित और माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित तथा वार्डन द्वारा अग्रेषित औपचारिक आवेदन के आधार पर धन की ऑनलाइन वापसी की जाएगी। छात्रावास शुल्क के भुगतान के समय निवासी छात्रा द्वारा ऑनलाइन लेनदेन हेतु अपने बैंक से संबंधित विवरण उपलब्ध करवाया जाए।

## रैगिंग विरोधी अध्यादेश

वेबसाइट : <http://www.antiragging.in/www.amanmovement.org> पर रैगिंग विरोधी अँनलाइन शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा रैगिंग के मामलों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। रैगिंग करने वाली छात्राओं को महाविद्यालय / छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश XV-C को उद्धृत किया जा रहा है।

### अध्यादेश XV-C:

#### रैगिंग का निषेध और रैगिंग करने पर सजा

1. महाविद्यालय / विभाग या संस्था और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के किसी भी भाग और साथ ही सार्वजनिक परिवहन में किसी भी रूप में रैगिंग निषेध है।
2. रैगिंग का कोई भी वैयक्तिक या सामूहिक कृत्य या रैगिंग करना, साधारणतः घोर अनुशासनहीनता है और उस पर इस अध्यादेश के अन्तर्गत कार्रवाई की जाए।
- 3- इस अध्यादेश के प्रयोजन हेतु रैगिंग का अर्थ है—साधारणतया ऐसा कृत्य, आचरण या व्यवहार जिसके द्वारा वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा नवागंतुक विद्यार्थियों या उन विद्यार्थियों, जिन्हें अन्य विद्यार्थियों द्वारा कनिष्ठ या कमतर माना जाता है, पर अपनी शक्ति या स्तर का प्रयोग किया जाता है और इसमें ऐसे वैयक्तिक या सामूहिक कृत्य या व्यवहार शामिल हैं जिसमें—
  - (क) शारीरिक हमला या शारीरिक बल का प्रयोग ;
  - (ख) विद्यार्थियों के स्तर, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुँचाना ;
  - (ग) अनुसूचित जाति और जनजातियों के विद्यार्थियों के स्तर, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुँचाना ;
  - (घ) विद्यार्थियों का मज़ाक उड़ाना और उनका अपमान करना और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना ;
  - (ङ) गाली देना और आक्रामकता दिखाना, अभद्र इशारे करना और अश्लील व्यवहार—शामिल हैं।
4. किसी महाविद्यालय के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष या कोई संस्था, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छात्रावास और हॉल्स ऑफ रेजिडेंस के प्राधिकारी, रैगिंग किए जाने की किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें।
5. उपर्युक्त खंड (4) में कुछ होते हुए भी, प्रॉक्टर द्वारा रैगिंग की किसी भी घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जाँच की जाए और रैगिंग में शामिल व्यक्तियों की पहचान और घटना की प्रकृति के विषय में कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

6. प्रॉक्टर द्वारा रैगिंग के दोषी व्यक्तियों की पहचान और घटना की प्रकृति के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।
7. यदि महाविद्यालय के प्राचार्य या विभागाध्यक्ष या संस्था या प्रॉक्टर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी कारण (जिसे लेखबद्ध किया जाए) से यह व्यवहारिक नहीं होगा कि इस प्रकार की जाँच की जाए, तो उनके द्वारा कुलपति को तदनुसार यह परामर्श दिया जाए।
8. यदि कुलपति संतुष्ट हो जाती / जाते हैं कि ऐसी जाँच करना उचित नहीं है तो उनका निर्णय अंतिम होगा।
9. खंड (5) और (6) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर या संबंधित अधिकारी द्वारा खंड (7) द्वारा अवधारण करने पर खंड (3), (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित रैगिंग की घटना को बताते हुए, कुलपति निर्धारित वर्षों के लिए किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को निष्कासित करने का निदेश या आदेश दे सकते / सकती हैं।
10. रैगिंग के अन्य मामलों में कुलपति यह आदेश या निदेश दे सकते हैं / सकती हैं कि किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया जाए या घोषित अवधि के लिए, महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए, एक या अधिक वर्ष के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने न दिया जाए या ऐसे विद्यार्थी / विद्यार्थियों के उस परीक्षा / उन परीक्षाओं के परिणाम रद्द कर दिए जाएँ, जो उन्होंने दी हैं।
11. यदि दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त विद्यार्थी रैगिंग के दोषी पाए जाते हैं तो इस अध्यादेश के अधीन संविधि 15 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री वापस लेने के लिए उपयुक्त कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
12. इस अध्यादेश के प्रयोजन हेतु, किसी कृत्य, व्यवहार द्वारा रैगिंग करने के लिए उकसाना भी रैगिंग ही माना जाएगा।
13. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएँ इस अध्यादेश के अंतर्गत जारी किए गए अनुदेशों / निदेशों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। वे इस अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन में कुलपति की सहायता करेंगी।
14. निम्न वेबसाइट्स पर रैगिंग विरोधी वचनबंध भरा जाए :  
**<http://www.antiragging.in>**  
**<http://www.amanmovement.org>**

### अध्यादेश XV-D

**महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013**

**निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 (विधि और न्याय मंत्रालय)**

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवारों के निवारण तथा प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है।

### आंतरिक शिकायतें समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशों के अनुसार महाविद्यालय में आंतरिक शिकायतें समिति गठित की गई है।

#### सदस्य:

1. डॉ. मीना भार्गव, पीठासीन अधिकारी (इतिहास विभाग)
2. डॉ. निधि मलिक (संयोजक, विमेंस डेवलपमेंट सेल)
3. डॉ. सुरभिका माहेश्वरी, सदस्य (मनोविज्ञान विभाग)
4. सुश्री गौरी किरौला (व्यावसायिक सहायक)
4. श्री राजेन्द्र भट्ट, सदस्य (कनिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक)
5. सुश्री मधुबाला, सदस्य (जागोरी, गैरसरकारी संगठन)
7. अध्यक्ष, महाविद्यालय छात्रसंघ
8. अध्यक्ष, छात्रावास संघ
9. अध्यक्ष, विमेंस डेवलपमेंट सेल

### धूम्रपान मुक्त क्षेत्र से संबंधित घोषणा

दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली पुलिस और वर्ल्ड लंग फाउंडेशन—साउथ एशिया के साथ तंबाकू मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है। इसी के अनुसरण में हमारे महाविद्यालय में धूम्रपान निषेध है।







मूल्य : रु. 150/-